22/5/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.
अप्रार्थी नि. 1 की ओर से अण्डरटेकिंग वादि
वकालतनामा व पत्रवाक पा. पत्र हेतु
पत्रावली दिनांक 2/7/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड [illegible] (जयपुर)

2/7/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.
अप्रार्थीगण को सम्मन जरिए डाक से भेजे
एक माह से अधिक का समय हो चुका है।
सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं हुए
है। अतः तामील सम्यक मानी जाती है।

सम्यक तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण
हाजिर नहीं आए अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही की जाती है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।
बहस सुनने के उपरान्त हम पाते हैं। विवादित
भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार हैं। एवं
विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ
है।

अतः वाद की बहुलता को रोकने एवं वाद
की विषय-वस्तु को बनाए रखने के लिए
वाद के चरण ल. (2) में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्ष
को तत्काल यथास्थिति बनाए रखेंगे।

पत्रावली कैफल शुमार होकर दर्ज
नम्बर लेखा हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (जयपुर)